



No. P-2 () Affiliation/B.Ed/2021-22/ 6677

Dated- 05/10/2021

To,

Principal,
Shri Krishna Shikshak Prashikshan College,
By Pass Road Kanwat, The- Khendela
Distt - Sikar (College Code -1091)

Subject : Extension in Provisional Affiliation for the Session 2021-22

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above, I am directed to inform you that the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college for Academic Year 2021-22 for Two Year B.Ed Course (Two basic units of, 50 Student). However extension is subject to fulfillment of conditions and norms prescribed by the NCTE, State Govt. and University.

Registrar

Date: 05/10/2021

No. P-2 () Affiliation/B.Ed/2021-22/ 6678 --- 81
Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Regional Director, N.R.C.-N.C.T.E., G-7, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075
2. OSD (Hr. Edu.) Education (Group-IV) Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. The Controller of Examination, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.
4. PS to VC, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.
5. Guard File.

Dy. Registrar(Acad.)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ24(822) NOC17-18/ बी.एड/ आकाशि/ 17/ 338

दिनांक-25.5.2017

आदेश

एन.सी.टी.ई. के आदेश क्रमांक NRC/NCTE/APP-16561/Recognition./B.Ed./269th Meeting (Part-3) /2017/172742-48 dated 29.04.2017 के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2017-18 के लिए बी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था में तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अर्थात् अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इतत सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों को उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	जिला	सहशिक्षा / महिला	आवृत्त सीट	आवृत्त विषय
1	श्री कृष्ण शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, ग्राम-कांवट, बाईपास रोड, तहसील-खण्डेला, जिला-सीकर।	सीकर	सहशिक्षा	100 (2 यूनिट)	कला-(70)हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, नृगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान। विज्ञान-(20) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित,सामान्य विज्ञान। वाणिज्य-(10)बहीखाता,व्यापार पद्धति।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.ए. बी.एड./बी.एससी, 2017 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, पं. दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर को भेजना कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के विन्दु 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर लॉडिंग, मन्मोनी सिंह मार्ग, जयपुर।
8. परिशोधना अधिकारी, राज्य सूचना (एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव/ प्राचार्य, श्री कृष्ण शिक्षक प्रशिक्षण, कांवट, तहसील-खण्डेला, जिला-सीकर-332708
10. प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. शक्ति पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।